

अमेरिकी सरकार की नीतिव्यक्तियों की तस्करी पर प्रतबिंध लगाती है

कोई पासपोर्ट कब्जे में न रखना,
कोई वेतन रोक कर न रखना,
कर्मचारियों की गतविधियों पर कोई प्रतबिंध न लगाना,
भर्ती करने की कोई फीस न लेना

सहायता प्राप्त करें या गुप्त सूचना की रपौर्ट करें



DoD हॉटलाइन: ८००-४२४-९०९८



अमेरिका में २४/७ की सहायता के लिए: ८८८३७३७८८८



Website: dodig.mil/hotline



अमेरिकी सरकार की नीति व्यक्तियों की तस्करी पर प्रतिबंध लगाती है

अमेरिका की मानव तस्करी के खिलाफ "शून्य सहिष्णुता" की नीति है। अमेरिकी ठेकेदारों को सभी लागू होने वाले अमेरिकी, मेजबान देश और तीसरे देशों के राष्ट्रीय कानूनों और अमेरिकी विनियमों, हदियातों, नरिदेशों, नीतियों और प्रक्रियाओं का पालन करना होगा

ठेकेदार को यह सुनिश्चित करना होगा कि ठेकेदार के कर्मचारी जो अमेरिकी सैन्य बलों की सहायता कर रहे हैं, वे नमिन के लिए अपने अधिकारों से अवगत हैं:

- अपनी पहचान और आवरण दस्तावेजों को अपने पास रखना
- सहमत हुई मजदूरी समय पर प्राप्त करना
- लंच और काम के बीच विश्राम लेना
- रोजगार को किसी भी समय समाप्त करने का चयन करना
- प्रतिशोध की कार्रवाई के डर के बिना शकियतों की पहचान करना
- अपने रोजगार अनुबंध की प्रतिएक ऐसी भाषा में प्राप्त करना जो वे समझते हैं
- ऐसी मजदूरी प्राप्त करना जो मेजबान देश के न्यूनतम वेतन से कम ना हो
- अपने रोजगार अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पहले अपने अधिकारों, वेतन और वर्जित गतिविधियों के बारे में सूचित किया जाना
- यदि आवास स्थल प्रदान किया जाता है तो ऐसे आवास में रहना जो मेजबान देश की आवास व्यवस्था और सुरक्षा मानकों को पूरा करता है

